प्रेस नोट

28.09.2018

थाना हलधरपुर व घोसी क्षेत्रान्तर्गत 02 नाजायज तमंचा व कारतूस के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। आज दिनांक 28.09.19 को देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान थाना **हलधरपुर पुलिस** द्वारा ढैंचा बाजार से चन्दन राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी चक्कापुर थाना बडेसर जनपद गाजीपुर के कब्जे से एक नाजायज तमंचा व कारतूस 315 बोर व थाना **घोसी पुलिस** द्वारा मुलचन्द्र पटेल पुत्र जयराम पटेल निवासी भैरोपुर थाना घोसी मऊ के कब्जे से एक नाजायज तमंचा व कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध्द अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत चोरी करते समय एक व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोबाईल फोन बरामद–

मऊ। थाना घोसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.09.19 को देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बोझी बाजार से मो0 इमान पुत्र मो0 जुबैर निवासी तालझाड़ी (झारखण्ड़) के कब्जे से चोरी की मोबाईल फोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 414/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 05 व्यक्ति व 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 28.09.19 को थाना **दोहरीघाट पुलिस** द्वारा कमला कान्त चौहान पुत्र श्रीकान्त, चन्दन मौर्या पुत्र गोपाल मौर्या निवासीगण मोहम्मदाबाद सिपाह थाना दोहरीघाट, थाना **रानीपुर पुलिस** द्वारा अनिल कुमार, बसुड़ी राम पुत्रगण शंकर राम, श्रीकान्त राम पुत्र विदेशी राम निवासीगण रानीपुर थाना रानीपुर मऊ को शांति भंग की आशंका में अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी व थाना **घोसी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त** राजेन्द्र सोनकर पुत्र शंकर सोनकर, निन्हाक उर्फ नेता पुत्र रामअवतार निवासीगण बड़ागांव थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।